LAW OF TORTS-2

LL.B. (3 YEAR – II ND SEM. & 5 YEAR –VI TH SEM.)

UNIT –III **(Legal Remedies, Award of damages- Simple, Special & Punitive)**

REMETINES OF DAMAGES – FORESSEABILITY & DIRECTNESS – INJUNCTION SPECIFIC RESTITUTION OF PROPERTY

अपकृत्य के सामान्य उपचार–

नुकसानी अथवा प्रतिकर ही वह सबसे महत्वपूर्ण उपचार है जो कि अपकृत्य घटित हो जाने के बाद वादी को उपलब्ध हो सकता है। अपकृत्य से पीड़ित व्यक्ति को उपलब्ध उपचारों को निम्न दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है–

01. न्यायिक उपचार
02. न्यायेत्तर उपचार

न्यायिक उपचार –

ऐसे उपचार जो अपकृत्य से पीड़ित व्यक्ति को न्यायालय को माध्यम से प्राप्त होते है न्यायिक उपचार कहलातें है। ये निम्न तीन प्रकार के होते है–

1. नुकसानी
2. व्यादेश या निषेद्याशा
3. सम्पत्ति का विर्निदिष्ट प्रव्यास्थापन।

01. नुकसानी तीन प्रकार की होती है–

क. सामान्य नुकसानी
ख. विशिष्ट नुकसानी
ग. दण्डात्मक नुकसानी

क. सामान्य नुकसानी –

सामान्य नुकसानी ऐसा नुकसान होता है जिसे विधि द्वारा प्रकल्पित कर लिया जाता है कि प्रतिवादी के कृत्य का प्राकृतिक तथा संभावत परिणाम है अतः सामान्य नुकसानी को साक्ष्य द्वारा सिद्ध करना आवश्यक नहीं है।

ख. विशिष्ट नुकसानी –

विशेष नुकसानी ऐसे नुकसान को कहते हैं जिसे विधि द्वार प्रकल्पित नहीं किया जाता है या जिसका निष्कर्ष न्या0 द्वारा दोषपूर्ण कृत्य से नहीं निकाला जाता है तथा इसका दावा विशेष रूप से अभिवचन में किया जाना तथा इसे साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जाना आवश्यक है।

सामान्य तथा विशेष नुकसानी के अन्तर के अन्तर को इलाहाबाद उच्च न्या0 ने एक वाद, डा0 सी0बी0 सिंह ब0 द कैन्टोनमेन्ट बोर्ड आगरा में स्पष्ट किया है–

न्या0 ने निर्णीत किया कि सामान्य नुकसानी ऐसे नुकसान को कहते है जिसे विधि द्वारा सम्बंधित उपेक्षा से उत्पन्न हुआ प्रकल्पित कर लिया जाता है विशिष्ट नुकसानी से तात्पर्य क्षति के ऐसे विशिष्ट मद से है जो वादी के अनुसार प्रतिवादी की उपेक्षा के परिणामस्वरूप हुआ है इसे विधि द्वारा उपेक्षा से उत्पन्न हुआ प्रकल्पित नहीं किया जाता है।

ग. दण्डात्मक नुकसानी –

सामान्यता अपकृत्य के मामलों में नुकसानी की प्रकृति प्रतिकरात्मक होती है परन्तु कभी–2 प्रतिवादी को दण्ड देने के उद्देश्य से नुकसानी प्रदान की जा सकती है जिससे कि प्रतिवादी उस प्रकार का व्यवहार भविष्य में न करे ऐसे नुकसान को दण्डात्मक नुकसान कहते है।

दण्डात्मक नुकसानी दिये जाने की परिधि बहुत ही सीमित है यह केवल निम्न तीन प्रकार के मामलों में दी जा सकती है–

01. वह मामले जिनमें अधिनियम इसकी अनुमति देता है।
02. ऐसे मामले जिनमे शासकीय कर्मचारियों द्वारा दमनकारी, मनमानी या असंवैधानिक कार्य किये जाते हैं।
03. जहॉ प्रतिवादी का आचरण ऐसा है कि उसको होने वाला लाभ वादी को प्रदान किये गये प्रतिकर से अधिक होता है।

भीम सिंह ब0 जम्मू0 कश्मीर राज्य 1985 एस0सी0 के वाद में वादी पिटीशनर को 50000 रू0 प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया गया क्योंकि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया था जिससे उसकी दैहिक स्वतंत्रता का हनन होता था ये दण्डात्मक नुकसानी के रूप में प्रतिकर प्रदान किया गया था।

सामान्य, विशेष तथा दण्डात्मक नुकसानी के अतिरिक्त नुकसानी के निम्न प्रकार भी होते हैं–

01. अवमानपूर्वक नुकसानी
02. नाम मात्र नुकसानी
03. प्रतिकरात्मक नुकसानी
04. भावी नुकसानी

नुकसानी की दूरस्थता –

जब अपकृत्य के किसी मामले में यह निश्चित हो जाता है कि कर्तव्य का उल्लघन हुआ है तथा नुकसान उस कर्तव्य भंग के कारण हुआ है तब प्रश्न यह उठता है कि प्रतिवादी कर्तव्य भंग के परिणाम स्वरूप होने वाली क्षति के लिये किस सीमा तक उत्तरदायी होगा।

उदाहरण – एक साईकिल सवार असावधानी से एक पदयात्री को ठोकर मारता है पदयात्री अपनी जेब में एक बम रखे था वह जैसे ही ठोकर लगने पर गिरता है बम में विस्फोट हो जाता है, जिससे पदयात्री व चार अन्य व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है व सड़क के समीप का एक भवन इस विस्फोट के कारण आग की चपेट में आ जाता है, तथा भवन में रहने वाले कई व्यक्ति गम्भीर रूप से जल जाते है। क्या साईकिल सवार इन समस्त परिणामों के लिये उत्तरदायी होगा?
अतः क्षति नुकसानी के निर्धारण के लिये दो मुख्य मापदण्ड है –

01. युक्ति – 2 पूर्वानुमान का मापदण्ड –

इस माप दण्ड के अनुसार यदि किसी दोषपूर्ण कार्य का परिणाम किसी युक्ति–2 व्यक्ति द्वारा पूर्वानुमानित हो सकता है तो वह अत्यन्त दूरस्थ नही माना जा सकता लेकिन यदि किसी युक्ति–2 व्यक्ति द्वारा ऐसे परिणामों का पूर्वानुमान नही किया जा सकता था तो उसे अत्यन्त दूरस्थ माना जायेगा ऐसे परिणामों के लिये कोई उत्तरदायित्व नही हो सकता जो अत्यन्त दूरस्थ होते है

''रिगवी ब0हेविद्ध तथा ग्रीनलैण्ड ब0 चैपलिन 1850 के वाद में वैरन पोलक ने निणीत किया कि प्रतिवादी का उत्तरदायित्व केवल उन्ही परिणामों के लिये हो सकता है जिसका पूर्वानुमान एक युक्ति–युक्त व्यक्ति द्वारा दोषकर्ता की परिस्थितियों मे रहकर किया गया होता। क्योंकि जिन परिस्थितियों का पूर्वानुमान नही किया जा सकता वह हमारे दोषपूर्ण कार्य का एक अत्यन्त दूरस्थ परिणाम है।

02. प्रत्यक्षता का मापदण्ड –

कोर्ट आफ अपील द्वारा री पोलमिस एण्ड फर्नेस, तिथी एंड कम्पनी लि0 1921 के वाद में युक्ति–युक्ति पूर्वानुमान के मापदण्ड को अस्वीकृत कर दिया और प्रत्यक्षता के मापदएड को अधिक उपयुक्त माना।

प्रत्यक्ष के मापदण्ड के अनुसार कोई व्यक्ति अपने दोषपूर्ण कार्य के समस्त प्रत्यक्ष परिणामों के लिये उत्तरदायी होता है चाहे भले ही उसने उसका पूर्वानुमान किया था या नहीं क्योंकि वे परिणाम जो प्रत्यक्षता किसी दोष पूर्ण कार्य से उत्पन्न होते हैं अत्यन्त दूरस्थ नहीं होते।

1961 – परन्तु पुनः ओवरसीज टैंकशिप यू0के0 लि0 ब0 मार्टस डाक एंड इंजीनियरिंग क0 लि0 (जिसे बेगन माउण्ट का वाद भी कहा जाता है) के वाद में प्रिवी कौंसिल ने प्रत्यक्षता के मापदण्ड को गलत माना और उसे स्वीकार करने से इन्कार कर दिया तथा प्रिवी कौसिंल ने यह धारित किया कि री पोलमिस का निर्णय अब उचित विधि नही रह गई है चूँकि कोई युक्ति युक्ति व्यक्ति ऐसी क्षति का पूर्वानुमान नहीं कर सकता इसलिये ऐसी उपेक्षा के लिये उत्तरदायी नही माना जा सकता।

अतः दोषकर्ता द्वारा किये गये कृत्य से जिन परिणामों की युक्तियुक्त पूर्वकल्पना नहीं की जा सकती उसके लिये उत्तरदायी नहीं ठहाराया जा सकता।

व्यादेश या निषेद्याज्ञा –

अपकृत्य से पीड़ित व्यक्ति को एक अन्य उपचार यह प्राप्त है कि वह न्यायालय से व्यादेश या निषेद्याज्ञा देने की प्रार्थना कर सकता है।

''व्यादेश न्यायालय द्वारा दिया गया एक ऐसा विशेष आदेश होता है जिसमें किसी आंशक्ति दोष के प्रारम्भ होने या वाद के किसी दोषपूर्ण कारण जो प्रारम्भ हो चुका है, के निरन्तार होने को निषिद्ध करता है या कुछ मामलों में चीजों को पूर्व स्थिति में प्रत्यास्थापन का आदेश देता है।

व्यादेश कई प्रकार के होते है–

01. आदेशात्मक व्यादेश
02. निषेद्यात्मक व्यादेश
03. शाश्वत व्यादेश
04. अस्थाई व्यादेश

आदेशात्मक या आज्ञापक व्यादेश ऐसे व्यादेश को कहते हैं जिसके द्वारा सम्बंधित पक्षकार को आदेश दिया जाता है कि वह विशिष्ट चीज या सम्पति को दोषपूर्व कृत्य होने के पूर्व की स्थिति में पहुंचा दे। निषेद्यात्मक व्यादेश ऐसा व्यादेश होता है जिसके द्वारा सम्बंधित पक्षकार को आदेश दिया जाता है कि वह किसी दोषपूर्ण कृत्य प्राराम्भ करने या निरन्तर करने से रोकने का आदेश दिया जाता है। स्थाई व्यादेश वाद की गुण–दोष के आधार पर सुनवाई के बाद किया जाता है तथा अन्तिम आदेश होता है अस्थायी व्यादेश सामान्तया अन्तःकालीन होता है तथा वाद की गुण–दोष के आधार पर सुनवाई किये बिना दिया जाता है।

व्यादेश एक विवेक पर आधारित उपचार है तथा इसे अधिकार के रूप में प्राप्त करने का दावा नही किया जा सकता है यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है।

सम्पत्ति का विर्निदिष्ट प्रत्यास्थापन

नुकसानी तथा व्यादेश के अतिरिक्त, अपकृत्य से पीड़ित पक्षकार को सम्पत्ति के विशिष्ट प्रत्यास्थापन के रूप में एक अन्य उपचार उपलब्ध हैं। यदि व्यक्ति को उसकी अचल सम्पत्ति या विशिष्ट चल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया जाता है तो ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना पर न्यायालय सम्पत्ति के विशिष्ट चल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को प्रार्थना पर न्यायालय सम्पत्ति के विशिष्ट प्रत्यास्थापन का आदेश दे सकता है। यह उपचार केवल ऐसे व्यक्तियों को उपलब्ध है जिनका सम्पत्ति पर कब्जा है। अतः यह उपचार कब्जे के अधिकार के उल्लंघन के अपकृत्यों तक सीमित है।

तौर न्यायिक उपचार –

ये निम्न होते है–

01. आत्म प्रतिरोध या अतिचारी का निष्कासन
02. उपताप का उपशमन
03. अतिचारी के बेदखली
04. भूमि पर पुनः प्रवेश
05. वस्तुओं या माल पर पुनः कब्जा प्राप्त करना
06. नुकसान के लिये वस्तु का अधिग्रहण।